

**फा.सं.1/99(16)/2021 - भ.III**  
**संघ लोक सेवा आयोग**  
**भ.III अनुभाग**

**उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश**

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु लघु सूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मूलभूत आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक 05.05.2024 तक ([SORT3.UPSC@NIC.IN](mailto:SORT3.UPSC@NIC.IN)) पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई ई-मेल को खोला नहीं जाएगा। इस प्रकार की ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाए। यदि जमा किए भी गए, तब भी इन्हें न तो खोला जाएगा और न ही उन पर विचार किया जाएगा। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तब ऐसे आवेदनों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तत्पश्चात्, संवीक्षा के संशोधित और अद्यतन विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी भी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

<b>पद का नाम</b>	असैन्य कार्मिक निदेशालय, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में प्रोफेसर (वैद्युत इंजीनियरी) के एक (अ.पि.व.-01) पद पर भर्ती।	
<b>विज्ञापन सं.</b>	16/2021	
<b>रिक्ति सं.</b>	21111601313	
<b>लघुसूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड</b>	अ.पि.व.	अ.यो – क (i) एवं अ.यो.-क (ii) (क) और (ख)
<b>अपनाए गए मापदंड</b>	(i) संवीक्षा, ओआरए प्रणाली द्वारा जनरेट की गई संवीक्षा रिपोर्ट तथा उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर की गई है। (ii) आवेदनों की संवीक्षा, संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। (iii) मान्य अनुभव की गणना करने के दौरान उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक आधार, दैनिक आधार पर, आगन्तुक/अतिथि संकाय, प्रति घंटा आधार पर प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि पर विचार नहीं किया गया है। (iv) संगत क्षेत्र में संविदा आधार/तदर्थ आधार पर प्राप्त अनुभव पर विचार किया गया है। (v) नियुक्ति प्रस्ताव/नियुक्ति पत्र आदि पर अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में विचार नहीं किया गया है। (vi) पीएचडी करने संबंधी अनुभव पर विचार नहीं किया गया है।	

	<p>(vii) वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी में पी.एच.डी पर भी विचार किया गया है।</p> <p>(viii) नाम की वर्तनी में अंतर/नाम में परिवर्तन के लिए शपथ-पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।</p> <p>(ix) आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत परिवचन के दृष्टिगत, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी परिवचन, जहां कहीं भी लागू हो, पर विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(x) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>
--	--

**साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने हेतु:**

अनुक्रमांक						
05	09	13	14	18	19	(06 उम्मीदवार)

**अस्वीकृत:**

**एलईक्यू -क (i) अनिवार्य योग्यता – (i)में कमी:**

10	17	20	(03 उम्मीदवार)
----	----	----	----------------

**एलईक्यू - (ii) (ख) (अनिवार्य योग्यता – (ii) में कमी:**

06	15	(02 उम्मीदवार)
----	----	----------------

**अपूर्ण आवेदन/ अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करना**

01	02	03	04	07	08	11	12
16	21	22	(11 उम्मीदवार)				

**परामर्शदाता/उप सचिव (भ.III)**